झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखण्ड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के निमित्त "झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017" से आच्छादित शिक्षकों के पद को "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001" के दायरे से बाहर करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य कल्याण विभाग के अधीन कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए "झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017" अधिसूचित है। उक्त नियमावली की कंडिका–5 के अनुसार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित आरक्षण नीति के अनुरूप सेवा के तहत नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण अनुमान्य होगा।

2. राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि "झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017" से आच्छादित शिक्षकों के पदों पर सीधी नियुक्ति में अहर्ताधारी महिलाओं हेतु 50% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जाय।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 के द्वारा राज्य सरकार के सेवाओं एवं पदों की नियुक्तियों में सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण के प्रावधान से संबंधित धाराएं निम्नवत हैं:–

धारा 4(2)– आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियां निम्नरूपेण होंगी:–

(क)	अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	–	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	–	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)	–	10 प्रतिशत
			कुल 60 प्रतिशत

धारा 4(2)(क)– सीधी भर्ती हेतु सभी नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के अनारक्षित एवं आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण विनियमित होगा:–

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का अधिनियम संख्यांक–49) की धारा 34 (1) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित आरक्षण।

(ii) महिलाओं के लिए – 5 प्रतिशत।

4. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 के उपर्युक्त प्रावधान के कारण "झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017" से आच्छादित शिक्षकों के पदों पर सीधी नियुक्ति में उदग्र आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु 50% क्षैतिज आरक्षण प्रावधानित करने में हो रही कठिनाई के कारण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में इन पदों को झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 3(ङ) के तहत प्रदत्त शक्ति के परिप्रेक्ष्य में उक्त पदों को झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया गया है।

परन्तु कि उदग्र आरक्षण राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप ही देय होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

6.12.22

(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–03/2022 का०– 7949 /रांची, दिनांक 09/12/2022

प्रतिलिपि :– मोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6.12.22

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–03/2022 का०– 7949 /रांची, दिनांक 09/12/2022

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/ निगमों/ निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

6.12.22

सरकार के प्रधान सचिव।